

राजस्थान सरकार
राजस्थान अरबन विकास एजेंसी (रूडा) जयपुर
"वित्त भवन" जयपुर
(दूरभाष नम्बर-0141-2740735 फैक्स नम्बर- 0141-2742309)

क्रमांक एफ.3 (ख) (1)/अलेसे-11/

दिनांक:- ०५ मार्च 2014

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश संख्या 406/2013-14 दिनांक 04.03.2013 के क.सं. 22 के कॉलम संख्या 3 एवं क.सं. 23 के कॉलम संख्या 4 में "राजस्थान अरबन विकास एजेंसी (रूडा) जयपुर" के स्थान पर "ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जयपुर (RUDA)" क.सं. 22 के कॉलम संख्या 4 एवं क.सं. 23 के कॉलम संख्या 3 में "जिला प्रौढ एवं सतत शिक्षा अधिकारी जयपुर" के स्थान पर "निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर" पढ़ा जावे।


(वीरवाला जोशी)
निदेशक,
कौष एवं लेखा विभाग

क्रमांक एफ.3 (ख) (1)/अलेसे-11/2013-14-87

दिनांक:- 05 मार्च 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जयपुर (RUDA)।
2. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. जिला प्रौढ एवं सतत शिक्षा अधिकारी जयपुर।
4. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट हेतु
5. श्री नेतराम सिंगारिया, लेखाकार, परियोजना निदेशक, राजस्थान अरबन विकास एजेंसी (रूडा) जयपुर।
6. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, लेखाकार, निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
8. व्यक्तिगत पंजिका।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)